न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 33 आर 15/08–09

दुलारी तिर्की अपीलकर्ता

बनाम

दशवा उरॉव प्रतिवादी

आदेश

8/
25.08.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 654/05–06 में श्री देवनीस किडो विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 28.04.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
तिरिल	92	435	7 डिसमिल

अपील आवेदन में बताया गया है कि अपीलकर्ता का संबंध खाता नं0 92 खेसरा संख्या 435 से नहीं है। अपीलकर्ता का दावा खाता नं0 26 खेसरा संख्या 435 पर है। अपीलकर्ता ने यह जमीन सादा हुकुमनामा से प्राप्त किया है और उनके नाम रसीद भी निर्गत होता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम तिरिल खाता संख्या 26 खेसरा संख्या 435 रकबा 32 डिसमिल जमीन अपीलकर्ता ने 1946 में हुकुमनामा से प्राप्त किया है। लगान रसीद अपीलकर्ता के नाम निर्गत होता है और अपीलकर्ता का मकान भी विवादित जमीन पर बना हुआ है। इनका यह भी कहना है कि खाता संख्या 92 से अपीलकर्ता को कोई सरोकार नहीं है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी खतियानी रैयत के वारिस हैं। विवादित खेसरा संख्या 435 खाता संख्या 92 के अंतर्गत है जिससे अपीलकर्ता का सम्बन्ध नहीं है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश सही है।

प्रस्तुत अपील वाद में सभी तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित जमीन से अपीलकर्ता का कोई सम्बन्ध नहीं है। बहस के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी यह स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में इस अपील का कोई औचित्य नहीं है।

अतः अपील अस्वीकृत किया जाता है। दखल देहानी हेतु अंचल अधिकारी, शहर को निर्देश भेजें।

दिनांकः— 25.08.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/—
अपर समाहर्ता
रॉची।